उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 25.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दुरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बेहरतर पुलिस प्रबन्धन के लिये धन्यवादः-

जनपद महोबा में आयोजित हुए "ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव" के सकुशल समापन के उपरान्त आज दिनांक 25.09.2023 को शहर के व्यापारी वर्ग व सम्भ्रान्त नगरिकों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा को शॉल/मोमेन्टों प्रदान कर बेहतर कानून/शान्ति व्यवस्था के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

ध्यातव्य है कि पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के दौरान महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर उन सभी स्थलों में चाक चौबन्ध पुलिस व्यवस्था के तहत चप्पे-चप्पे पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया साथ ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में अस्थाई रुप से मेला कोतवाली सहित 03 पुलिस चौकियां का संचालन किया गया। अपराधियों पर पैनी नजर रख उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही भी अमल में लायी गयी, समस्त बन्दोबस्त के क्रम में सम्पूर्ण कार्यक्रम शान्तिप्रिय तरीके से सकुशल सम्पन्न हुए।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 25.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.09.2023 को थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 हरी कुमार सिंह के द्वारा एक नफर अभियुक्त राजू नट पुत्र मुल्लू नट उम्र 35 वर्ष निवासी मुहल्ला सुभाष नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को नगर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरी कुमार सिंह
2. कां0 धर्मेन्द्र यादव 3. पीआरडी योगेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू नट पुत्र मुल्लू नट उम्र 35 वर्ष निवासी मुहल्ला सुभाष नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा।

अपराधिक इतिहास अभि0 राजू नटः-

1. मु.अ.सं. 1285/12 धारा 380/411/452/457 भादवि
2. मु.अ.सं. 016/17 धारा 3(1) गैगे0 एक्ट
3. मु.अ.सं. 286/16 धारा 396/397/398/412/506 भादवि
4. मु.अ.सं. 347/16 धारा 3/25 ए एक्ट

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 25.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री यशवन्त सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. इमामी खान पुत्र उस्मान खान उम्र 48 वर्ष 2.रामकुमार राजपूत पुत्र विहारीलाल उम्र 30 वर्ष 3.दयाशंकर अहिरवार पुत्र रामचरन उम्र 30 वर्ष, 4.दिनेश आदिवासी पुत्र रामप्रसाद उम्र 26 वर्ष 5.राहुल सेंगर पुत्र हीरालाल उम्र 29 वर्ष, 6. रामप्रकाश कोरी पुत्र स्व0 सरजू उम्र 45 वर्ष 7. मोहनलाल अहिरवार पुत्र कालीचरन उम्र 27 वर्ष नि0गण ग्राम बैंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा को ग्राम नैपुरा में मरघटा के पास से जरिये ताश पत्ता हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलते हुए पकडे गये जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 148/23 धारा 13 जुआँ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2. हे0का0 राघवेन्द्र सिंह 3. का0 भरत सिंह 4. का0 कुंवरपाल 5.का0 अजय कोरी।

बरामदगी- मालफड़- 6800 रु0/- व जामातलाशी - 1870 रु0/-

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.इमामी खान पुत्र उस्मान खान उम्र 48 वर्ष 2.रामकुमार राजपूत पुत्र विहारीलाल उम्र 30 वर्ष 3.दयाशंकर अहिरवार पुत्र रामचरन उम्र 30 वर्ष 4.दिनेश आदिवासी पुत्र रामप्रसाद उम्र 26 वर्ष 5.राहुल सेंगर पुत्र हीरालाल उम्र 29 वर्ष, 6. रामप्रकाश कोरी पुत्र स्व0 सरजू उम्र 45 वर्ष, 7. मोहनलाल अहिरवार पुत्र कालीचरन उम्र 27 वर्ष नि0गण ग्राम बैंदो थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 25.09.2023 को थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम के द्वारा एक नफर अभियुक्त अमित सिंह पुत्र रामबोल सिह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

बरामदगी–01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.वरि0उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम

2.का0 राजेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमित सिंह पुत्र रामबोल सिह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा।

महोबा पुलिस